27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री यादराम, आटा चक्की मिस्त्री का अनुसूचित जाति/ जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निपटान।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्री यादराम, आटा चक्की मिस्त्री से प्राप्त अनुसूचित जाति/ जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुनरावंटन हेतु प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री यादराम, आटा चक्की मिस्त्री द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 148/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड द्वारा दिनांक 04.08.2012 को आदेश पारित किया गया जिसमे याची के आवेदन निस्तारित किये जाने के निदेश दिये गये हैं । विभाग द्वारा वताया गया कि श्री यादराम उत्तर प्रदेश राज्य के मूलनिवासी एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के कार्मिक है ओर उनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हेतु विकल्प दिया गया था। अतः समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 24.06.2010 के आधार पर उनका राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश के लिए किए जाने कि संस्तुति कि गई ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री यादराम, आटा चक्की मिस्त्री का राज्य पुनरावंटन अनुसूचित जाति जनजाति आवंटन दिशानिर्देश के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किया जाता हे ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L.N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
26 JUN 2013
जारी किया/ISSUED

3. संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
आवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।